

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2024/ 2324

दिनांक 26/07/24

प्रार्थीगण:-

1.नगसिंह पुत्र मलसिंह 2.राहकंवर पत्नि
नगसिंह 3.सामकंवर पत्नि पन्नेसिंह,
जाति राजपूत, निवासी भाडा गुल मोहम्मद,
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:-

1.चतरसिंह 2.नरसिंह पि. सुगालसिंह, निवासी गुमाने का
तला 3.एवनकंवर पत्नि जुझारसिंह 4.रतनकंवर पत्नि
खुमाणसिंह, निवासी विंडाणियों की ढाणी 5.केशरसिंह
6.देवीसिंह पि. नाथूसिंह, जाति राजपूत, निवासी मते का
तला 7.उगमसिंह 8.पृथ्वीराजसिंह 9.जालमसिंह पि.तीरसिंह,
निवासी बावड़ीकला 10.एवनकंवर पत्नि जुझारसिंह
11.जोकमकंवर पत्नि स्वरूपसिंह 12.मोरुकंवर पत्नि
मोतीसिंह, जाति राजपूत, निवासी बींडाणियों की ढाणी,
तहसील चौहटन, 13.तहसीलदार चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम

वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 262/2023

दिनांक : 26.07.2024

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र
गुमाने का तला के मौजा भाडा गुल मोहम्मद के खेत खसरा सं. 266/141 रकबा 07.8914
हैक्टेयर, भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है।
उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन
आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से
उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।

प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2024/ 2325 1029

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण नगसिंह वगैरा
3. विप्रार्थीगण चतरसिंह वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना/धनाऊ

— 50 —
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

दिनांक 26/07/24



(सूरजभान विश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी

चौहटन
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन